बड़ौदा यू.पी. बैंक
Baroda U.P. Bank

सार्वजनिक बिक्री/ नीलामी सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

क्षेत्रीय कार्यालय- पडरौनाः कुबेरस्थान रोड, छावनी, पडरौना (कुशीनगर), पिन कोड-274304

अचल सम्पत्तियों के लिए सार्वजनिक नीलामी बिक्री सूचना

वित्तीय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित कि प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) (सरफेसी अधिनियम, 2002) साथ में पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 6(2) और/या नियम 8(6) के अधीन नीलामी सूचना

जैसा कि उक्त कथित सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अधीन और कथित अधिनियम की धारा 13(2) में पठित नियम 3 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बड़ौदा यू.पी. बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी द्वारा एक मांग सूचना जारी की जिसमें तथा कर्जदार(रों) और गारंटीदाता(ओं)/बंधककर्ता(ओं) को कथित सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर कथित सूचना के अनुसार राशि का भुगतान करने को कहा गया और जैसा कि कर्जदार(रों)/गारंटीदाता(ओं)/बंधकदाता(ओं) ने राशि का भुगतान नहीं किया गया और अतः अधोहस्ताक्षरी ने कथित अधिनियम की धारा 13(4) साथ में पठित नियमों के नियम 4 और / या नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पत्ति/सम्पत्तियों (इसके बाद कथित सम्पत्तियों नाम से निर्दिष्ट का कब्जा ले लिया गया है जैसा कि अधोहस्ताक्षरी सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) (ए) के तहत प्रदत्त अधिकारों के अनुपालन में कथित सम्पत्तियों की बिक्री द्वारा बैंकों के बकायों की वसूली का प्रस्ताव रखते हैं। एतद्वारा जनसाधारण और विशेष रूप से कर्जदार(रों) और गारंटीदाता(ओं)/बंधककर्ता(ओं) को सूचना दी जाती है कि निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति जो प्रतिभूत लेनदारों के पास बंधक/प्रभारित पड़ी है, जिसका भौतिक कब्जा प्राधिकृत अधिकारी बड़ौदा यू.पी. बैंक, प्रतिभूत लेनदार द्वारा ले लिया गया है, जिसे निम्नांकित बकायों की वसूली हेतु निम्नांकित सारणी में अंकितानुसार तिथि को **"जैसा है जहां है," "जैसा है जो जहाँ है"** और **"जो है वहीं है"** आधार पर बेचा जायेगा। जनसाधारण और विशेष रूप से कर्जदार(रों) और गारंटीदाता(ओं)/बंधककर्ता(ओं) को एतद्वारा दोबारा सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने सरफेसी अधिनियम 2002 के अधीन निम्नांकित अचल सम्पत्तियों के लिए बोली/निविदाएं/कोटेशन आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। इसलिए, इच्छुक व्यक्तियों/बोलीदाताओं को 01.03.2023 को या उससे पहले, **बड़ौदा यू.पी. बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, पडरौना** में मुहरबन्द लिफाफे में, निम्नांकित नियम व शर्तों को पूरा करके अपनी बोली प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। बोली दिनांक 02.03.2023 को खोली जाएगी।

क्र. सं.	ऋणी/बन्धककर्ता का नाम	सम्पत्ति का विवरण/ मालिक का नाम	मांग सूचना तिथि/ अधिग्रहण तिथि/ अधिग्रहण प्रकार	बकाया धनराशि (रु.)	अरक्षित मूल्य (रु.) धरोहर राशि (रु.)
1	**ऋणी:** श्री सोनू कुमार अग्रहरि पुत्र लाल मोहन अग्रहरि **शाखा - रामकोला** **खाता सं. - 75008112176**	**संपत्ति के स्वामी-** श्रीमती गायत्री देवी पत्नी लाल मोहन अग्रहरि, **संपत्ति -** खतौनी संख्या-701, प्लॉट संख्या 394/2, **क्षेत्रफल-** 0.279 हेक्टेयर **चौहद्दीः उत्तर-** भूमि सुबाष, **दक्षिण-** भूमि विनोद, **पूर्व-** कच्चा रोड, **पश्चिम-** भूमि मनीष कुमार एवं अन्य	08.07.2019 11.10.2019 भौतिक कब्जा 17.01.2023	**रु. 786534.80/-** + ब्याज + अन्य खर्च	**रु. 1850000/-** **रु. 185000/-**

सम्पर्क नं. - 9519973665

बिक्री के नियम एवं शर्तें: 01. इच्छुक बोलीदाताओं को मुहरबन्द लिफाफे में अपनी बोली जमा करनी है। (लिफाफे के ऊपर स्पष्टतः और पठनीय बोली क्रम सं. एवं प्रकाशन की तिथि वर्णित होनी चाहिए। **02.** बोलीदाताओं को बोली के साथ अग्रिम में पडरौना में देययोग्य एवं प्राधिकृत अधिकारी, बड़ोदा यू.पी. बैंक के पक्ष में डीडी/ बैंकर्स चेक के रूप में जमा धरोहर राशि के रूप में आरक्षित मूल्य का 10% जमा/संलग्न करना होगा। सर्वोच्च बोली मूल्य (आरक्षित मूल्य से कम की नहीं होनी चाहिए) को सफल बोलीदाता के रूप में माना जाएगा। और शेष सफल बोलीदाताओं की ईएमडी एक सप्ताह के अन्दर बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी। **03.** सफल बोलीदाता को डीडी/बैंकर्स चेक के रूप में अगले दिन बोली रकम (ईएमडी) को छोड़कर) का 15% जमा करना होगा और शेष अनिवार्य रूप से बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के अन्दर जमा करना होगा, अगर वे ऐसा नहीं करते है तो उनके द्वारा पूर्व में जमा की गयी रकम जब्त कर ली जायेगी। **04.** प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताये या पूर्व सूचना दिये बोली/सर्वोच्च बोली को स्वीकार/अस्वीकार/रद्द/निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। प्राधिकृत अधिकारी बिक्री/नीलामी की तिथि को बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। **05.** प्राधिकृत अधिकारी किसी भी प्रकार के बकाया प्रभारों/देनदारियों/भार/करों/सरकारी बकायों और अन्य पक्ष के दावों व बकायों के लिए जवाबदेह नहीं होंगे। **06.** सम्पत्ति को आरक्षित मूल्य से कम से कम में किसी भी रकम पर बेचा नहीं जायेगा। सफल बोलीदाता को सभी स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क का भुगतान स्वयं करना होगा। **07.** यदि ऐसा पाया जाता है कि दो या अधिक बोलीदाताओं की एक समान बोली रकम है तो प्राधिकृत अधिकारी उनके मध्य पुनः नयी बोली आमंत्रित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। **08.** बोली/बिक्री बैंक की पुष्टि के अधीन होगी। सम्पत्ति को **"जैसा है जहाँ है जैसा है जो कुछ है और वहाँ जो कुछ भी है"** आधार पर बेचा जा रहा है। **09.** अगर कोई कर्जदार/गारंटीदाता/बंधककर्ता नीलामी से पहले बैंक को पूर्ण बकाये का भुगतान कर देता है तो नीलामी को रोक दिया जायेगा। **हालांकि कर्जदार/गारंटीदाता/बंधककर्ता के पास नीलामी से पूर्व प्रतिभूत आस्तियों को निर्गत करने का अवसर होगा जो प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 की धारा 13 की उप धारा (8) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन संशोधन नियमों 2002 द्वारा) के अधीन बकाया पूर्ण राशि एवं प्रभारों के भुगतान के अधीन होगा। 10.** यह बोलीदाताओं की एक मात्र जिम्मेदारी है कि वे सम्पत्तियों के संबन्ध में संतुष्ट एवं पुष्ट हो लें। वे अपरान्ह 2.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक किसी भी कार्यदिवस पर सम्बन्धित शाखा से समय से लेकर सम्पत्ति को देख कर निरीक्षण कर सकते हैं। **11.** यह बिक्री नोटिस कर्जदारों/गारंटीकर्ता(ओं)/बंधककर्ता(ओं) के लिए विशेष रूप से तथा जनता/सर्वसाधारण के लिए सामान्तर रूप से है। **12.** बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया प्रतिभूत लेनदारों की वेबसाइट में प्रदान किये गये लिंक यानी https://www.barodaupbank.in/sarfesinotice.php देखें।

सरफेसी अधिनियम 2002 के अधीन 30 दिनों की बिक्री सूचना

कर्जदारों/गारंटीदाताओं/कानूनी वारिसों/बंधककर्ता(ओं) को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि नीलामी से पूर्व बैंक को उपरोक्त वर्णित सभी बकाये का भुगतान करें, अगर वे ऐसा नहीं करते है तो बंधक सम्पत्ति को वर्णित तिथि को बेच दिया जाएगा और अगर कोई अन्य बकाया शेष होगा तो ऐसे उचित ब्याज, प्रभारों एवं व्यय के साथ उनसे वसूल किया जायेगा।

दिनांक : 25.01.2023 | **स्थान: पडरौना** | **प्राधिकृत अधिकारी, बड़ौदा यू.पी. बैंक**